




कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर



Phone no./Fax no. 01370-260070

E mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 56 / 33 सी  
सेवा में,

दिनांक 12 / 01 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी  
टिहरी वन प्रभाग  
नई टिहरी।

विषय - जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत मुपनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ऑनलाइन को प्रस्तावपत्रन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/36299/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वर्णित मार्ग की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8वी०/यू०सी०पी०/०६/९९/२०२०/एफ०सी०/२४६२ दिनांक 17.03.2021 द्वारा प्राप्त है। जिसकी अनुपालन आध्या आपको पूर्ण रूप से पांच-पांच प्रतिशत में प्रेषित की जा रही है।

- शर्त सं० 1 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 2 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के परचात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 3(क) :- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 5.980 है० ग्राम नौली सिविल की खसरा सं० 1294, 295, 1296, 1395, 1396, 1397, 1400 एवं 1401 सिविल सामान्य वनभूमि में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 2217994.00 की धनराशि ऑनलाइन चालान द्वारा दि० 12.01.2022 को जमा कर दी गई है। जहाँ तक व्यवहारिक हागा स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल स्वाम्त्तान से बचा जायेगा (चालान की प्रति एवं प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 3(ख) :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न) तथा इस भूमि को राज्य अभिलेखों में वन विभाग के नाम इन्द्रराजी की गई है। (प्रमाण पत्र संलग्न) भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 3(ग) :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। जिस हेतु वन मंडल अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 5(क) :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं 10 वर्षों के रख-रखाव सहित निर्धारित धनराशि रू० 2217994.00 दिनांक 12.01.2022 को चालान द्वारा ऑनलाइन जमा कर दी गई है (संलग्न चालान की प्रति) एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्वरूपन की लागत का प्रायकलन सम्बन्धित राजि अधिकारी से तयार करवाकर रू० 30.10 लाख धनराशि ऑन लाईन (अर०टी०सी०ए०) के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को भेज दिया गया है।
- शर्त सं० 5(ख) :- के अनुपालन में एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रू० 1964430.00 दिनांक 12.01.2022 को ऑन लाईन जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति एवं प्रमाण-पत्र संलग्न है)।
- शर्त सं० 5(ग) :- के अनुपालन में यदि एन०पी०वी० की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बड़ी हुई धनराशि का मुगलान किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 6 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कम से कम वृक्षा का कटान/पातन किया जायेगा। प्रस्ताव के अनुसार 53 वृक्षा से अधिक नहीं होंगी। तथा इस कार्यालय द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 7 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण वनीकरण कोष प्रवन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई-पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है (चालान की प्रति संलग्न)।
- शर्त सं० 8 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाइड लाईन में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 112 के अनुसार अपना उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह न्यूनित्वता करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

प्रमाण पत्र जारी  
7176  
शर्त सं० 3(ग)  
2024

शर्त सं० 6  
15/1/24  
शर्त सं० 7



शर्त सं० 8  
15/1/24  
मुख्य प्रशासिक अधिकारी  
टिहरी वन प्रभाग  
नई टिहरी

- शर्त सं0 9 :- के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा (प्रमाण-पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 10 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार पर सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीच-बीच पौधों की संख्या बढ़ायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 11 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविधियमन साईनेज लगाये जायेंगे (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 12 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- शर्त सं0 13 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की बिना पूर्वानुमति के ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 14 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैंप नहीं लगाया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 15 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्य वनविभाग अथवा वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक इंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः दैकल्पिक इंधन दिया जायेगा जिससे कि निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 16 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रावकलन सम्बन्धित राजि अधिकारी से तैयार कराकर प्रावकलनानुसार वनराशि प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी के पक्ष में ऑन लाईन पेमेन्ट (आर0टी0जी0एस0) द्वारा दिनांक 21.12.2023 को रु0 30.10 लाख की धनराशि जमा की गई है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 17 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
- शर्त सं0 18 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 19 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 20 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 21 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्तें लागू की जाती है उसका पालन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 22 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तब सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा, मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 23 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि इस प्रस्ताव पर कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि लागू होते है तो उनकी जरूरी अनुमति ली जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं0 24 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर भी अपलोड की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें एवं मार्ग पर कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।  
संलग्न - उपरोक्तानुसार पाच-पाच प्रतियां में।

पत्रांक 96 / 33 सी


प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लॉ0नि0वि0 नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।


  
(ई0 डी0पी0 आर0)  
अधिशारी अभियन्ता  
अ0ख0 लोक निर्माण विभाग  
श्रीनगर मु0- कोर्तिनगर  
दिनांक 12 / 01 / 2024  
  
अधिशारी अभियन्ता  
अ0ख0 लोक निर्माण विभाग  
श्रीनगर मु0- कोर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं०-1 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशारी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम - जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं०-2 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।



सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर



अधिशर्सी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-3 (क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 5.980 है0 ग्राम नौली सिविल की खसरा सं0 1294, 1295, 1296, 1395, 1396, 1397, 1400 एवं 1401 सिविल सोयम वनभूमि में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं जहाँ तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जायेगा।

सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

अधिशाली अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर



NON 2A ग्राम नौवीं वही पंचायत शाखा ए. ज. मणोरवार (2021) वही शाखा

प्रपत्र सं० प-11

2	3	4	5	6	7	8	1	2	3
संयोजक सरकार	1294	0.502							
वही व(ड) 50 वं वं	1295	0.812							
	1296	1.123							
	1395	1.312							
	1396	0.852							
	1397	0.126							
	1400	0.441							
	1401	0.812							
योग	08	5.980							

Pls copy Attached  
 संयोजक-अभियन्ता  
 जस्थाई खण्ड लोड वि० वि०  
 भीमगर, गु०-भीमिनगर

पु. शा. मणोरवार

सुभाष सेनापत तिया

उक्त प्रमाण उपर कापी है  
 ली गडी है।

09.11.2021

ज. मणोरवार

पंचायत-मणोरवार  
 पंचायत-मणोरवार  
 वि. शा. मणोरवार

09.11.2021

पंचायत-मणोरवार  
 पंचायत-मणोरवार  
 वि. शा. मणोरवार



BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 12-01-2022

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6136299587
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/99/2020/FC
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR, H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND Tehri Garhwal
Remitter Contact No.	
Email-Id.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com
Mobile No.	9412346710
Landline No.	1370-260070
Amount(in Rs)	4182424/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words : Forty-One Lakh Eighty-Two Thousand Four Hundred and Twenty-Four Rupees Only

Executive Engineer  
Depositor Signature  
P.W.D. Srinagar

Bank Official  
(Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp.
---------------------------	---------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

ampa@corpbank.co.in

after 7 working days,



Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लोड वि० वि०  
श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर

Handwritten vertical text on the right side of the page, likely a signature or note.

मार्ग का नाम - जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-3 (ख) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चयनित ग्राम नौली सिविल की गैरवानिकी भूमि को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित कर दिया गया है तथा इस भूमि की राज्य अभिलेखों में वन विभाग के नाम इन्द्राराजी की जा चुकी है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

अधिशर्सी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर



**आदेशः**

भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं० ०८बी/यू०सी०पी०/०६/९९/२०२०/एफ०सी०/२४८२ दिनांक १७.०३.२०२१ का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग अन्तर्गत भुवनेश्वरी मंदिर चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुए नगर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु २.९९ हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान की गई हैं। जिसकी शर्त सं० ३(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर ५.९८० हे० सिविल रीयम भूमि ग्राम नौली के खसरा सं० १२९४, १२९५, १२९६, १३९५, १३९६, १३९७, १४००, १४०१ में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

उक्त के क्रम उपजिलाधिकारी जाखणीधार के द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं० ३१/२०का०(२०२०-२०२१), दिनांक ०.१२.२०२१ को उल्लेख किया है कि ग्राम नौली की ज०वि०२० खतौनी खाता सं० १५ में वर्ज खसरा न० १२९४/०.५०२ हे०, १२९५/०.८१२, १२९६/१.१२३ हे०, १३९५/१.३१२ हे०, १३९६/०.८५२ हे०, १३९७/०.१२६ हे०, १४००/०.४४१ हे०, १४०१/०.८१२ हे० कुल ०८ खेत मध्ये कुल रक्वा ५.९८० हे० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण हेतु प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं०	अर्जित रक्वा (हे०)	भूमि की किस्म
१	२	३	४	५	६
नौली	पौड़ीखाल	१५	१२९४	०.५०२ हे०	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग ९(३)ड
			१२९५	०.८१२ हे०	
			१२९६	१.१२३ हे०	
			१३९५	१.३१२ हे०	
			१३९६	०.८५२ हे०	
			१३९७	०.१२६ हे०	
			१४००	०.४४१ हे०	
			१४०१	०.८१२ हे०	
		योग	५.९८० हे०		

प्रस्तावित जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग अन्तर्गत भुवनेश्वरी मंदिर चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुए नगर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-२८८२/२०११(II)/११-१८(१२०)/२०१० राजस्व अनुभाग-२ दिनांक ११ नवम्बर २०११ एवं शासनादेश संख्या-२३६५/२०११(II)/१३-१८ (१२०)/२०१० टी०सी० दिनांक १४ अक्टूबर २०१३ के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या-२१७३/२०११(II)/२०१२-१८(१२०)/२०१० राजस्व अनुभाग-२ दिनांक १७ दिसम्बर २०१२ के क्रम में उप जिलाधिकारी जाखणीधार के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा ५.९८० हे० सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार जाखणीधार तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)  
जिला अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल।

**कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।**

संख्या-१३१/२०२१-२२(२०२०-२१) दिनांक, नई टिहरी, दिसम्बर २८, २०२१.

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- १- सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  - २- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - ३- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
  - ४- नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
  - ५- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
  - ६- अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो० वि० श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर।
  - ७- उप जिलाधिकारी जाखणीधार।
  - ८- तहसीलदार जाखणीधार को अनुपालनार्थ प्रेषित।


*Photo copy Attested*  
सहायक अभियन्ता  
अस्थायी खण्ड लो० वि० श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर


जिला अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

**शर्त सं0-3 (ग) का प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।


  
सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर


  
अधिशारी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-4 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण भूमि पर पूतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत रू0 2217994.00 को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से कैम्पा फंड में चालान द्वारा दिनांक 12.01.2022 को यह राशि जमा कर दी गई है एवं सीमांकन हेतु स्तंभन की लागत का प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती से स्वीकृति करवाकर रू0 30.10 लाख ऑन लाईन (आर0टी0जी0एस0) के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को प्रेषित कर दिया गया है।

  
सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

  
अधिशायी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-5(क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 1964430.00 की धनराशि चालान द्वारा कैम्पा फंड में दिनांक 12.01.2022 को जमा कर दी गई है। (प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं एन0पी0वी0 की राशि को संयुक्त चालान द्वारा जमा कर दिया गया है। )

सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

अधिशारी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर



BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 12-01-2022

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6136299587
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/99/2020/FC
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR, H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND Tehri Garhwal
Remitter Contact No.	
Email-Id.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com
Mobile No.	9412346710
Landline No.	1370-260070
Amount(in Rs)	4182424/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)


Amount in Words : Forty-One Lakh Eighty-Two Thousand Four Hundred and Twenty-Four Rupees Only

*[Signature]*  
**Executive Engineer**  
 Depositor Signature  
**P.W.D. Srinagar**  
**P.W.D. Srinagar**

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2



ampa@corpbank.co.in

after 7 working days,


*Photo copy Attached*  
*[Signature]*


*यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से चालान विभागा में प्रेषित होने पर नगर में प्रेषित*

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-5(ख) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि एन0पी0बी0 की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

  
अधिशारी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-6 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 वृक्ष एवं saplings (नई टिहरी वन प्रभाग) एवं 53 वृक्ष एवं 0 saplings (नई टिहरी वन प्रभाग) से अधिक नहीं होगी का कटान/पातन किया जायेगा। तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर


अधिशाली अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर


CO

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-7 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/ जमा की जाने वाले धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से ही जमा की गई है।

  
सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

  
अधिसासी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर



BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 12-01-2022

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6136299587
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/99/2020/FC
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHANDTehri Garhwal
Remitter Contact No.	
Email-Id.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com
Mobile No.	9412346710
Landline No.	1370-260070
Amount(In Rs)	4182424/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words : Forty-One Lakh Eighty-Two Thousand Four Hundred and Twenty-Four Rupees Only

  
Executive Engineer  
Depositor Signature  
A. D. Srivastava  
A. D. Srivastava

Bank Official  
(Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
---------------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

ampa@corpbank.co.in

after 7 working days,



Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लोड वि० वि०  
श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर

उत्तरांचल प्रदेश सरकार के पास विद्युत खण्ड लोड वि० वि० श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-8 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गाईडलाईनस में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा-11.2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति वन विभाग को प्रेषित की जायेगी। साथ ही यह इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।



सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर



अधिसासी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-9 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर



अधिसासी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

प्रारूप सं० ३०

FORM - I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 688 / ~~XIV~~ - 33 (2017-2018) Dated ...06/09/2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.990** hect. of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department, Kirtiagar for Construction of Bhuvneshwari Mandir to Chaka Pichwara to Nagar waya Nouli Motor Road in Tehri Garhwal District** falls within jurisdiction of **Pawalkhal, Roudhara etc Villages in Jakhanidhar tehsils.**

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **2.990** Hec. of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **30** to annexure 30.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Photo copy Attested  
(Signature)  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो० वि० वि०  
श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर


Signature  
(सोनिका)  
जिला अधिकारी  
Distt Collector  
टिहरी गढ़वाल




(21)

It is further certified that – Minutes of meeting of Bhuvneshwari Mandir to Chaka Pichwara to Nagar waya Nouli Motor Road (5.00 KM) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <b>2990 Hectares</b> of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

  
जिला पंचायत सदस्य  
जामरी, वि० ल०-देवासयाग  
जिला पंचायत सदस्य  
टिहरी गढ़वाल

  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित



  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
टिहरी वन प्रभाग  
नई टिहरी

Photo copy Attested

  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो० वि० वि०  
श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर

प्रतिहस्ताक्षरित

  
जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल

Signature

(  
Distt. Colector



**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR  
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **(सोनिका)** I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Hindolakhhal** Block area measuring **2.990 Hectare** for the construction of **Construction of Bhuvneshwari Mandir to Chaka Pichwara to Nagar waya Nouli Motor Road** in Tehsil **JAKHANI DHAR** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **JAKHANI DHAR**..... Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

  
(सोनिका)


जिला अधिकारी

District Collector Tehri Garhwal chairman

Place :- Tehri

District Tehri Garhwal  
New Tehri

*Photocopy Attested*

  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो० वि० वि०  
श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर



## प्रपत्र—

परियोजना का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी जाखणीधार  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड जाखणीधार परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 2990 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2990 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कीर्तिनगर) की दिनांक 06/08/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ..... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम	पद	स्थिति
1-	श्री चर सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष उप-जिलाधिकारी टिहरी
2-	श्री. के. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्रीमति मनीषा शैवाड़ी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4-	श्री अरुण सिंह राणावत	बी०डी०सी० क्षेत्र जांमठी	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2990 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर कार्यवाही



संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नई दिल्ली उप वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जाखणीधारा परिक्षेत्र के भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2990 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

*[Signature]*

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- जाखणीधारा  
जनपद दिल्ली गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, दिल्ली गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*[Signature]*

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- जाखणीधारा

जनपद दिल्ली गढ़वाल

*Photo copy Attested*

*[Signature]*  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो० वि० वि०  
श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर



परियोजना का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०)

दिनांक 06/08/18..... उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
जनपद-






1.	श्री अतर सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी जाखवाड़ा	अध्यक्ष	
2.	श्री A. N. Singh	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	 उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीचौरी उप वन प्रभाग
3.	श्रीमती मनीषा टिवाड़ी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	 सहायक समाज कल्याण अधिकारी मिनाखो-देवप्रयाग, टिहरी
4.	श्री अतर सिंह शर्मा	बी०डी०सी० क्षेत्र जामटी	सदस्य मिनाखो	 अतर सिंह शर्मा सदस्य क्षेत्र पंचायत- जाखवाड़ा, खण्ड देवप्रयाग (टि.सं.)

Photo copy Attested

  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो० वि० वि०  
श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर



परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिडवाडा से नौली छोटे डूरे नगर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत/ग्राम का नाम - डोभ/नौली

तहसील भादवाँवाँ जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड देवप्रयाग में भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिडवाडा से नौली छोटे डूरे नगर तक मोटर मार्ग निर्माण की परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 2.99 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.99 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डोभ/नौली द्वारा दिनांक 25/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डोभ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

*Photo copy Attested*  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो० वि० वि०  
कीर्तिनगर

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत...  
दि० २० देवप्रयाग, टि० ग०



ग्राम प्रधान






दिनांक 25/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत / ग्राम का नाम - डाँडा / नौदा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीवीर सिंह रावत	Shri Vira
2	आजानो सिंह रावत	Bawa
3	मनमूल सिंह	Manmool
4	मोहन सिंह	Mohan
5	पुताप सिंह	Putap
6	प्रेम सिंह	Prem
7	गुलाब सिंह	Gulab
8	निकम सिंह	Nikam
9	रूप सिंह	Rup
10	दुर्गमणी	Durgamani
11	बसाव सिंह	Basav
12	डमिरी देवी	Damiri
13	श्याम देवी	Shyam
14	किशोरी लाल	Kishori
15	राज सिंह	Raj
16	सखल सिंह	Sakhal
17	सुरवीर सिंह	Survir
18	नन्दमणी	Nandmani
19	शान सिंह	Shan
20	दरश सिंह	Darsh
21	मंगल सिंह	Mangal
22	शिव सिंह रावत	Shiv
23	धेनो दे सिंह	Dhenode
24	उत्तम सिंह	Uttam
25	विजय सिंह	Vijay

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो0 वि0 वि0  
श्रीनगर, मु0 कीर्तिनगर



ह0 / -  
ग्राम प्रधान



दिनांक 25/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति


66

ग्राम पंचायत / ग्राम का नाम - डोम/...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	मोहम्मद लाल	Mohammed Lal
(2)	अशोक प्रसाद	Ashok
(3)	पवन कुमार	Pawan Kumar
(4)	पदीप कुमार	Padiy Kumar
(5)	अनसूया प्रसाद	Anasuya Prasad
(6)	पीताम्बर दत्त	Pitambar Datt
(7)	राजेश प्रसाद	Rajesh Prasad
(8)	अमीर कुमार	Amir Kumar
(9)	दिनेश प्रसाद	Dinesh Prasad
10	रघुवीर सिंह चौधरी	Raghuvir Singh

Photo copy attached

सहायक अभियन्ता  
अस्पष्ट खण्ड लो0 वि0 वि0  
श्रीनगर, मु0 कीर्तिनगर



मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं०-10 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क को दोनों किनारों एवं बीचों बीच पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।



सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर



अधिशाली अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर



मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं०-11 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे।


सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर


अधिशाली अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-12 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।


  
सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर


  
अधिशाली अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-13 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।


  
सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर


  
अधिशारी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-14 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।


  
सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर


  
अधिशर्सी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-15 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

  
सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

  
अधिशाली अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर



मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-16 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि का परियोजना की लागत पर आर0सी0सी0 पिल्लरों द्वारा सीमांकन राजि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्राक्लनानुसार धनराशि वनविभाग के पक्ष में रू0 30.10 लाख रू0 दिनांक 21.12.2023 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग टिहनी के पक्ष में ऑन लाईन (आर0टी0जी0एस0) द्वारा जमा कर दी गई है।

सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

अधिशाली अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

### E-CHALLAN

Treasury Form -209(1)  
Financial Handbook Vol. V ,Part - II  
Form No. 43A(1)  
(See Paragraph 417 and 478)  
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury / Sub - Treasury / Bank / Bank Branch Srinagar

1	Name of the person ( designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid )	Executive Engineer TD PWDSrinagar
2	Address	Srinagar
3	Registration Number (if necessary)	-----
4	Full details of amount to be deposited ( for which purpose and in favour of )	TRANSFER
5	Gross value of challan	3,010,000.00
6	Net value of challan	0
7	Full details of Head of Account ( Transfer From)	505404337030454
8	13 Digit code of Head of A/C	As per details below

S.No.	Services	Detail Head	Amount
	3048-Forest Division New Tehri	8443001090103	3010000
Total Amount			3010000

Allotment ID :WH4201423112231000


Voucher Number

Voucher Date

Assessed Amount

Amount in words

Rupees Thirty Lacs Ten Thousand Only

  
Executive Engineer  
T.D., P.W.D.  
Srinagar, H.Q.-Kirtinagar

CTO/Sr. TO /STO Signature

*Pls copy Attested*


*(Mk)*  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लोड वि० वि०  
श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर




मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-17 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

  
अधिशारी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-18 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर




अधिशारी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर


मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-19 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।



सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर



अधिशाली अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर



मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं०-20 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र सं० 8बी०/यू०सी०पी०/06/99/2020/एफ०सी०/2482 दिनांक 17.03.2021 द्वारा अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर


अधिशारी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम — जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-21 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उसका भी पालन किया जायेगा।


  
सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर


  
अधिशर्सी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-22 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगी कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा, तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में कटाई नहीं की जायेगी।


  
सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर


  
अधिशारी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-23 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।


  
सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर


  
अधिसासी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

### शर्त सं0-24 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र सं0 8वी0/यू0सी0पी0/06/99/2020/एफ0सी0/2482 दिनांक 17.03.2021 द्वारा अधिरोपित शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर

  
अधिसासी अभियन्ता  
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर  
मु0 कीर्तिनगर